न्यायालय सहायक कलक्टर, दूदू जिला जयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत आर.ए.एस.

राजस्व वाद–पत्र संख्या 19/2018
वाद दायरी दिनांक : 28/02/2018
निर्णय दिनांक : 01/03/2021

वैद्यनाथ पुत्र स्व0 रामकरण, जाति जाट, निवासी सुरजपुरा तन सेवा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर राज0।

—— वादी

बनाम

1. सजनी पत्नी स्व0 रामकरण, जाति जाट, निवासी सुरजपुरा तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
2. जगन्नाथ पुत्र स्व0 रामकरण, जाति जाट, निवासी सुरजपुरा तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
3. किशनलाल पुत्र स्व0 रामकरण, जाति जाट, निवासी सुरजपुरा तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
4. तहसीलदार तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर राज0।

—— प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर (फा0 ट्रै0) दूदू

वाद बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा

(अन्तर्गत धारा 88 व 188 राज0 काश्त0 अधि0–1956)

उपस्थिति – श्री विनोद कुमार जैन
श्री राधेश्याम लक्षकार
विद्वान अधिवक्ता वादी

श्री नानूराम धाभाई
विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ल. 3

प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक 01/03/2021

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद–पत्र बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि आराजी खतौनी संख्या 472 के आराजी खसरा नम्बर 28, 889, 890, 1265, 1267, 1278, 1284 कुल किता 7 कुल रकबा 5.13 हैक्टेयर जिसमें स्व0 रामकरण का 1/2 हिस्सा था, खतौनी संख्या 471 के आराजी खसरा नम्बर 22, 23, 24, 26, 1283 कुल किता 5 कुल रकबा 5.18 हैक्टेयर, खतौनी संख्या 473 के आराजी खसरा नम्बर 25 रकबा 3.85 हैक्टेयर में

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) दूदू

स्व0 रामकरण का हिस्सा 1/2 वाके ग्राम सेवा, खतौनी संख्या 261 के आराजी खसरा नम्बर 64 में सम्पूर्ण हिस्सा वाके ग्राम ढाणी नन्दा, खतौनी संख्या 155 के खसरा नम्बर 887 गैर मुमकिन चाह रकबा 0.06 हैक्टेयर हिस्सा 1/3 स्व0 रामकरण का खतौनी संख्या 447 के आराजी खसरा नम्बर 30, 31, 33 कुल किता 03 कुल रकबा 2.95 हैक्टैयर जो सम्पूर्ण वादी के नाम दर्ज है इस प्रकार उपरोक्त भूमि में खतौनी संख्या 472 में वादी व प्रतिवादीगण का समान अर्थात 1/8 हिस्सा है खतौनी संख्या 471 में वादी एवं प्रतिवादीण्गा का बराबर बराबर 1/4 हिस्सा, खतौनी संख्या 473 में वादी एवं प्रतिवादीगण का 1/8, 1/8 हिस्सा है व खतौनी सख्या 261 में वादी व प्रतिवादीगण का बराबर 1/4 हिस्सा है एवं खतौनी संख्या 155 में स्व0 रामकरण के दर्ज हिस्से में से 1/4 हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी एवं वादी के नाम दर्ज खतौनी संख्या 447 वाके ग्राम सेवा में वादी व प्रतिवादीगण का समान अर्थात 1/4, 1/4 हिस्सा है तथा इसी अनुसार पक्षकारान मौके पर काबिज काश्त है तथा खातेदार काश्तकार है। इस प्रकार रूपनारायण उर्फ माधू के फौत होने पर उसके दोनों लडके रामकरण व करणानन्द के नाम खातेदारी बहिस्सा बराबर दर्ज हुयी। रामकरण व करणानन्द दोनों फौत हो गये हैं। रामकरण के वादी एवं प्रतिवादी वारिशान है व करणानन्द के उनकी पत्नी रसालदेवी व पुत्री प्रेमदेवी है, जिनके नाम वारिशान की हैसियत से करणानन्द के फौत होने पर खातेदारी दर्ज हुयी हैं। विवादग्रस्त भूमि पक्षकारान की संयुक्त पैत्रिक भूमि है जो रूपनारायण उर्फ माधू के कब्जे काश्त की भूमि थी उनके फौत होने पर उनके दोनो लडके रामकरण व करणानन्द के बहिस्सा बराबर बराबर खातेदारी दर्ज हुई और दोनो भाई विवादित भूमि पर अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है। खातेदार करणानन्द की फौती पर उनके वारिशान पत्नि रसाल व पुत्री प्रेम के नाम नामांतकरण तस्दीक किया जाकर 1/2 हिस्से की खातेदारी करणानन्द की जगह दर्ज हुई जो आज तक चली आ रही है। पक्षकारान के पिता रामकरण के फौत होने पर विरासत का नामांतकरण वादी व प्रतिवादीगण के नाम बहिस्सा बराबर बराबर दर्ज होना चाहिये लेकिन प्रतिवादीगण ने राजस्व कर्मचारियो से मिलीभगत करते हुये उनके पिता रामकरण की फौती नामांतकरण वादी को करूणानन्द के तर्के पर काबिज होना बताकर गलत रूप से अकेले प्रतिवादीगण के अपने नाम पंजीबद्व करवा लिया उसके पश्चात पिता स्व0 रामकरण के फौत होने पर उसके हिस्से की खातेदारी विवादग्रस्त वर्णित मद नम्बर 1 में अकेले प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो गयी जो वर्तमान में चली आ रही है जबकि

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) चूरू

कब्जा काश्त मौके पर वादी व प्रतिवादीगण 1/4, 1/4 हिस्से पर है। विवादग्रस्त भूमि पर पक्षकारान अपने पिता की मृत्यू के पश्चात, संयक्त रूप से बहिस्सा बराबर मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है प्रतिवादीगण के द्वारा गलत रूप से अपने नाम अकेले के नामांतकरण खुलवाने व उसके पश्चात खातेदारी दर्ज होने पर वादी ने प्रतिवादीगण से कहा कि वह उनके चाचा के करूणानन्द के कभी गोद नही गया व उनके तरके पर काबिज काश्त रहा करूनानन्द जो रामकरण के पहले ही फौत हो गया था यदि वह करूणानन्द के तरके पर काबिज काश्त होता तो उसके नाम खातेदारी दर्ज होती प्रतिवादीगण ने गलत कथन करते हुये उनके पिता की भूमि अकेले के नाम दर्ज करवा ली उसके हिस्से की भूमि उसके नाम लगावे जिस पर प्रतिवादीगण ने कहा कि मौके पर समान ही कब्जा काश्त चला आ रहा है वह कभी भी चलकर उसका हिस्से उसके नाम लगवा देंगे जिस पर वादी ने उस पर विश्वास कर कोई कार्यवाही नही की। पिछले कुछ समय से प्रतिवादीगण की नियत में फितुर है और वे विवादग्रस्त भूमि में वादी का हिस्सा उसके नाम लगाने में आनाकानी करने लगे है और अभी दिनांक 15/01/2018 को प्रतिवादीगण ने वादी से कहा कि उसके अकेले के नाम खाता संख्या 447 में खसरा नम्बर 30, 31, 33 कुल किता 03 कुल रकबा 2.95 हैक्टेयर की खातेदारी दर्ज है जो भूमि उनके पिता के द्वारा खरीद कर वादी के नाम दर्ज करवायी है वादी यदि उक्त भूमि में प्रतिवादीगण के नाम उनके हिस्से अनुसार करा देवे तो प्रतिवादीगण विवादग्रस्त भूमि में वादी का जो हिस्सा है वह उसके नाम लगवा देंगे प्रतिवादीगण के उक्त कथन पर वादी सहमत हो गया और कहा कि सम्पूर्ण भूमि में पक्षकारान में समान हिस्सा है तथा इसी अनुसार अपने अपने करवा लेवे इससे वादी ने अपनी सहमति प्रदान कर दी। उपरोक्त कथन व सहमति के पश्चात वादी ने विवादग्रस्त भूमि में अपना हिस्सा लगाने हेतु प्रतिवादीगण से अभी दिनांक 15/02/2018 को कहा कि उसका हिस्सा उसके नाम लगावे तथा कहा कि उसके नाम विवादित भूमि नही होने से वह सरकारी सुविधाओं से लगातार वंचित चला आ रहा है वादी के उक्त कथन पर प्रतिवादीगण ने कोई संतुष्टिपूर्वक जवाब नही दिया बल्कि कहा कि जैसे खातेदारी दर्ज चली आ रही है वैसे ही वे रखेंगे और वादी के नाम खातेदारी दर्ज करवाने व विवादग्रस्त भूमि में वादी का कोई हिस्सा होने से स्पष्ट इंकार हो गये ऐसी स्थिति में वादी के लिये आवश्यक हुआ कि विवादग्रस्त भूमि में अपने हिस्से की घोषणा हेतु यह वाद पेश किया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) बूंदी

वादी ने वाद–पत्र के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही कि "वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर घोषणा इस आशय की फरमायी जावें कि विवादित भूमि वर्णित मद नम्बर 1 के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण खातेदारकाश्कार है अर्थात विवादित भूमि वर्णित मद नम्बर 1 में वादी 1/4 हिस्से व प्रतिवादीगण 1/4, 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि विवादित आराजीयात में वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी न स्वंय करें, न अन्य से करावें। न विवादित आराजीयात को किसी अन्य दीगर व्यक्ति को रहन, बेय, मुन्तकिल, विक्रयादि करें।"

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गयी। दिनांक 13/03/2018 को प्रतिवादी संख्या 1 ल. 3 की ओर से श्री नानूराम धाभाई द्वारा वकालतनामा व इकबालिया जवाब दावा पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से पैरोकार उपस्थित होकर जवाब पेश नही करना जाहिर किया। विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान साक्ष्य न पेश सीधी बहस करना जाहिर किया।

विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया तथा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र, दस्तावेजात असल जमाबन्दी किता–5, फोटो प्रति सिजरा खानदान, आधारकार्ड, पहचान–पत्र तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ल. 3 द्वारा प्रस्तुत इकबालिया जवाबदावा तथा साक्ष्य गवाहान का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि वादी ने उक्त वाद–पत्र पेश कर निवेदन किया है कि "विवादित आराजीयात को प्रतिवादी संख्या 1 ल. 3 ने अकेले अपने नाम से लगवा ली, जबकि कानूनन वादी भी रामकरण का वारिश होने से वादी का भी हक व हिस्सा बनता था, इसलिये उक्त आराजीयात में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ल. 3 प्रत्येक को 1/4–1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें।"

इस सम्बन्ध में वादी द्वारा प्रस्तुत सिजरा के अवलोकन से पाया जाता है कि वादी स्व0 रामकरण के वारिशान है तथा पक्षकारान एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य होना पाये जाते हैं। विवादित आराजीयात पक्षकारान की पैतृक संयुक्त हिन्दू परिवार की आराजीयात हैं। जो वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 ल. 3 के नाम से दर्ज

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) पूदू

है, क्योंकि मुताबिक सिजरा वादी भी स्व0 रामकरण का पुत्र है, इसलिये वादी का विवादित आराजीयात में 1/4 हिस्सा बनता है, जिसको प्राप्त करने हेतु ही उक्त वाद–पत्र पेश किया है, जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 ल. 3 ने इकबालिया जवाबदावा पेश कर वादी के वाद को स्वीकार किया है एवं डिक्री किये जाने में किसी प्रकार की आपत्ति नही जताकर अपनी पूर्ण सहमति प्रदान की हैं। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य गवाहान से भी वादी के वाद की ताईद होती हैं। ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवेचन से यह पाया जाता है कि वादी अपने वाद–पत्र को साबित करने में पूर्णतया सफल रहा हैं। इसलिये वादी का वाद डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 472 के आराजी ख0 न0 28, 889, 890, 1265, 1267, 1278, 1284 कुल किता 07 कुल रकबा 5.13 हैक्टेयर, खाता संख्या 471 के आराजी खसरा नम्बर 22, 23, 24, 26, 1283 कुल किता 05 कुल रकबा 5.1800 हैक्टेयर, खतौनी संख्या 473 के आराजी खसरा नम्बर 25 रकबा 3.8500 हैक्टेयर वाके ग्राम सेवा, तह0 मौजमाबाद, खतौनी संख्या 261 के आराजी खसरा नम्बर 64 रकबा 0.7800 हैक्टेयर वाके ग्राम ढाणी नन्दा, तहसील मौजमाबाद, खतौनी संख्या 155 के आराजी खसरा नम्बर 887 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खतौनी संख्या 447 के आराजी खसरा नम्बर 30, 31,33 कुल किता 03 कुल रकबा 2.9500 हैक्टेयर वाके ग्राम सेवा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर में स्थित है, जिसमें खतौनी संख्या 472 में वादी व प्रतिवादीगण प्रत्येक को 1/8–1/8 हिस्से का, खतौनी संख्या 471 में वादी एवं प्रतिवादीगण को प्रत्येक को 1/4–1/4 हिस्से का, खतौनी संख्या 473 में वादी एवं प्रतिवादीगण प्रत्येक को 1/8–1/8 हिस्से का, खतौनी सख्या 261 में वादी व प्रतिवादीगण प्रत्येक को 1/4–1/4 हिस्से का एवं खतौनी संख्या 155 में वादी एवं प्रतिवादीगण प्रत्येक को 1/8–1/8 हिस्से का एवं खतौनी संख्या 447 में वादी व प्रतिवादीगण प्रत्येक को 1/4–1/4 हिस्से के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 01/03/21 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
मौजमाबाद (जयपुर)

राज पंचायत प्रकाशन, जयपुर

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(आ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) दूदू मुकाम

व इजलास श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत (R.A.S.)

वैधनाथ पुत्र स्व. रामकरण जाति भाट नि. सूरजपुरा तह. मौजमाबाद जिला जयपुर ग्रामीण बनाम (1) रजनी पत्नि स्व. रामकरण जाति भाट (2) जगनाथ पुत्र स्व. रामकरण (3) किशनलाल व (4) तहसीलदार मौजमाबाद

दावा बाबत तन सेवा

मुकदमा न. 19/18 सन्

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रूबरू अधि. श्री विनोद कुमार जैन

व हाजिरी मिनजानिब मुद्दई रूबरू अधि. श्री नानूराम धाभाई

मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद-पत्र डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी खाता सं. 472 के आराजी ख.न. 28, 889, 890, 1265, 1267, 1278, 1284 कुल किता 07 कुल रकबा 5.13 हेक्टेयर, खाता सं. 471 के आराजी ख.न. 22, 23, 24, 26, 1283 कुल किता 05 कुल रकबा 5.1800 हेक्टे; खतौनी सं. 473 के आराजी ख.न. 25 रकबा 3.85 हेक्टेयर

खर्चा इस मुकदमे का मय सूद बशरह ... फीसदी ... तारीख ... तारीख अदायगी तक ... का अदा करे।

आज ब तारीख मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 01 माह 03 सन् 2021

(मुहर: सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) दूदू)

दस्तखत सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) दूदू

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प बजाह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट - इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए

पर्चा डिक्री

वाके ग्राम सेवा तह० मौजमाबाद खतौनी स. 261 के आराजी ख. न. 64 रकबा 0.7800 हेक्टेयर वाके ग्राम ढाणी नन्दा, तह० मौजमाबाद, खतौनी स० 155 के आराजी ख. न. 887 रकबा 0.06 हेक्टे; खतौनी सरंख्या 447 के आराजी खसरा न. 30, 31, 33 कुल किता 03 कुल रकबा 2.9500 हेक्टेयर वाके ग्राम सेवा तह० मौजमाबाद जिला जयपुर में स्थित है, जिसमें खतौनी स. 472 में वादी व प्रतिवादीगण प्रत्येक को 1/8 - 1/8 हिस्से का, खतौनी स. 471 में वादी एवं प्रतिवादीगण को प्रत्येक को 1/4 - 1/4 हिस्से का खतौनी स. 473 में वादी एवं प्रतिवादीगण प्रत्येक को 1/8 - 1/8 हिस्से का, खतौनी स० 261 में वादी व प्रतिवादीगण प्रत्येक को 1/4 - 1/4 हिस्से का एवं खतौनी स. 155 में वादी एवं प्रतिवादीगण प्रत्येक को 1/8 - 1/8 हिस्से का एवं खतौनी स. 447 में वादी व प्रतिवादीगण प्रत्येक को 1/4 - 1/4 हिस्से के अनुसार खातेदार कोश्तकार घोषित किया जाता है

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) सूबा

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) सूबा